न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने नवीन संशोधित वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध पूर्व में ही एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से संशोधित वादपत्र पर प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक नहीं होने से प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 30.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
30.01.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.09 10:04:07 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
152 / 2023	2023 / 1187	26.10.2023	30.01.2024

उनवान प्रकरण

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. रामचन्द्र आयु 63 वर्ष
2. महेश पुत्र स्व. ओमप्रकाश पौत्र रामचन्द्र आयु 38 वर्ष
3. माया देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश आयु 36 वर्ष
4. सरोज देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश आयु 34 वर्ष
5. बबीता देवी पुत्री स्व. ओमप्रकाश आयु 30 वर्ष
6. राजेश्वरी देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश आयु 55 वर्ष
7. श्रवणी देवी पुत्री रामचन्द्र आयु 57 वर्ष
8. कमला देवी पुत्री रामचन्द्र आयु 65 वर्ष
9. रामनिवास पुत्र कजौड़मल आयु 60 वर्ष
10. सांवरमल पुत्र कजौड़मल आयु 58 वर्ष
11. गुमानी देवी पत्नी कजौड़मल आयु 82 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी [illegible]ली तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

——वादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

बनाम्

1. बींजाराम पुत्र भूराराम आयु 96 वर्ष
2. शंकरलाल पुत्र भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय आयु 52 वर्ष
3. सुरेश पुत्र भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय आयु 50 वर्ष
4. सीताराम पुत्र भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय आयु 56 वर्ष
5. सिणगारी देवी पत्नी भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय आयु 80 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी घोसल्यावाली तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर
8. शाखा प्रबन्धक आईडीबीआई बैंक शाखा भारणी जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर – प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से स्वंय उपस्थित
3. सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है।

ए. यह कि ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 रकबा 1.57 हैक्टर :–

वर्तमान प्रविष्टी :–

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	नवीन प्रविष्टी
164	1.54	1. बींजाराम 1/4	1. रामचन्द्र 1/2
337	0.030	2. भगवानसहाय 1/4	2. रामनिवास, सांवर, गुमानी 1/2
	1.57	3. रामचन्द्र 1/4	
		4. रामनिवास, सांवर गुमानी 1/4	
		कुल 0.3925 हैक्टर	

2. कृषि भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है।

बी. ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 रकबा 6.71 हैक्टर :–

वर्तमान प्रविष्टी :–

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	[illegible] प्रवि[illegible]
120	3.55	1. बींजाराम 1/8	1. [illegible] 1/4
121	2.38	2. भगवानसहाय 1/8	2. [illegible], सांवर, गुमानी 1/4
139	0.78	3. रामचन्द्र 1/8	शेष बदस्तुर
	6.71	4. रामनिवास, सांवर गुमानी 1/8	
		कुल 0.8385 हैक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

3. कृषि भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर तन ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है।

सी. ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 रकबा 2.00 हैक्टर :–

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	नवीन प्रविष्टी
140	0.48	1. भगवानसहाय 1/6 (0.3333)	1. रामचन्द्र 1/6
141	1.02	2. रामचन्द्र 1/6 (0.3333)	2. रामनिवास, सांवर, गुमानी 1/6
146	0.50	3. रामनिवास, सांवर गुमानी 1/6	शेष बदस्तूर
	2.00	(0.3333)	

3ए. यह कि ग्राम भारणी के भूमि खसरा नम्बर 126, 127/1, 128/1 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4071 हैक्टर

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	नवीन प्रविष्टी
126	0.98	1. भगवानसहाय 5/16 (0.4397)	1. भगवानसहाय
127/1	0.2185	2. रामचन्द्र 1/16 (0.0879)	शेष बदस्तूर
128/1	0.2086	3. रामनिवास, सांवर गुमानी 1/16	(रामचन्द्र, कैंजा, रामनिवास
	1.4071	(0.0879)	सांवर, गुमानी हटाना)

भूमि खसरा नम्बर 126, 127, 128 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4071 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि में वर्तमान में मृत्तक रामचन्द्र पुत्र भूरा के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा व रामनिवास पुत्र कजौड़ हिस्सा 1/48, सांवरमल पुत्र कजौड़ हिस्सा 1/48, गुमानी पत्नी कजोड़ हिस्सा 1/48 कुल 1/16 उक्त दोनो [illegible] 1/[illegible] हिस्से से वादीगण का नाम हजफ किया जावे व उक्त हिस्सा सम्पूर्ण 1/8 सीताराम, शंकरलाल, सुरेश पुत्रान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय व सिणगारी देवी पत्नी भगवानाराम उर्फ भगवानसहाय के नाम दर्ज कर दिया जावे।

3बी. यह कि खसरा नम्बर 733, 735, 742 कुल किता 3 रकबा 2.34 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	नवीन प्रविष्टी
733	0.7300	1. बीजाराम 1/4	1. 735 व 742 में रामचन्द्र व रामनिवास सांवर, गुमानी की जगह बीजा के नाम शेष बदस्तुर
735	0.3200	2. रामचन्द्र 1/4	2. 733/0.73 में 0.37 है. पूर्व दिशा में रामनिवास, सांवर, गुमानी व 0.36 हैक्टर बींजा/भूरा के नाम शेष सभी के नाम हटेगे।
742	1.2900	3. रामनिवास, सांवरमल गुमानी देवी 1/4	
2.34		(0.5850)	

भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 0.73 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील रींगस वर्तमान में दर्ज खातेदारी रामचन्द्र पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ तीनो के हिस्से 1/12, 1/12, 1/12 कुल 1/4 हिस्सा उक्त दोनो हिस्से सम्पूर्ण 1/4 + 1/4 = 1/2 हिस्सा की खातेदारी जो वादीगण के नाम दर्ज हैं में से 37/73 हिस्सा की खातेदारी रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ के नाम दर्ज कर दिया जावे व शेष हिस्सा बदस्तूर रहे जिससे वादीगण को कोई [illegible] है तथा भूमि खसरा नम्बर 735, 742 कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील रींगस

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

वर्तमान में दर्ज खातेदारी रामचन्द्र पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड व गुमानी पत्नी कजौड़ तीनो के हिस्से 1/12, 1/12, 1/12 कुल 1/4 हिस्सा उक्त दोनो हिस्से सम्पूर्ण 1/4 + 1/4 = 1/2 हिस्सा की खातेदारी बींजा पुत्र भूरा के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो वादीगण को कोई एतराज नही है।

3सी. यह कि भूमि खसरा नम्बर 709, 710, 731, 732 कुल किता 4 कुल रकबा 1.83 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान प्रविष्टी	नवीन प्रविष्टी
709	0.72	1. बींजाराम 1/4	1. 731, 732 में बींजा/भूरा सम्पूर्ण
710	0.18	2. भगवानसहाय 1/4	2. 710 सम्पूर्ण रामनिवास, सांवर, गुमानी के नाम सम्पूर्ण
731	0.30	3. रामचन्द्र 1/4	3. 709/0.72 में 0.08 है0 पश्चिमी दिशा में रामनिवास, सांवर, गुमानी व शेष 0.64 है0, में रामचन्द्र के वारिसो के नाम
732	0.63	4. रामनिवास, सांवरमल गुमानी देवी 1/4 (0.4575)	
	1.83		

भूमि खसरा नम्बर 709 रकबा 0.72 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील रींगस वर्तमान में दर्ज खातेदार रामचन्द्र पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ तीनो के हिस्से 1/12, 1/12, 1/12 कुल 1/4 हिस्सा उक्त सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा में से 0.08 हैक्टर भूमि पश्चिमी दिशा की तरफ की गुमानी पत्नी कजौड़ व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़मल के नाम दर्ज कर दिया जावे व शेष बची भूमि 0.64 हैक्टर भूमि भूरा के सभी वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 8 के उनके विधिक हक हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

भूमि खसरा नम्बर 710 रकबा 0.18 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील रींगस वर्तमान में दर्ज खातेदार रामचन्द्र पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ तीनो के हिस्से 1/12, 1/12, 1/12 कुल 1/4 हिस्सा उक्त सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ के नाम दर्ज की जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ कर दिये जावे तो वादीगण को कोई एतराज किसी किश्म का नही है तथा भूमि खसरा नम्बर 731, 732 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 हैक्टर तन् ग्राम पटवारीकाबास तहसील रींगस वर्तमान में दर्ज खातेदार रामचन्द्र पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 व रामनिवास, सांवरमल पुत्रगण कजौड़ व गुमानी पत्नी कजौड़ तीनो के हिस्से 1/12, 1/12, 1/12 कुल 1/4 हिस्सा उक्त सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा बींजा पुत्र भूरा के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो वादीगण को कोई एतराज नही है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से होकर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। पक्षकारान ने अपनी कृषि भूमियो का बाह्मी पारिवारिक समझौता अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व किया गया था उसके अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 3 में दर्ज भूमिया व अन्य भूमियो का बंटवारा कर लिया गया था। उक्त बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 2 में वर्णित भूमियो का प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमियो का सम्पूर्ण हिस्सो में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 ता 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के व आधा हिस्सा वादी संख्या 9 ता 11 के हक हिस्से व बंटवारे में आया तथा वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियो में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के पिता/पति के नाम दर्ज भूमियो में आधा हिस्सा वादी संख्या 1 ता 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के आधा हिस्सा एंव वादीगण संख्या 9 ता 11 के हिस्से में आया हुआ है। इसी अनुसार पक्षकारान समझौते के तहत से ही काबिज होकर काश्त लगातार करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के हक में [illegible] हुयी है जिसका खाता भी प्रतिवादीगण के नाम जरिये [illegible] हैं। [illegible] यहा यह भी लिखा जाना आवश्यक है कि पूर्व में न्या[illegible] में प्रस्तुत [illegible] संख्या 458/1991 बउनवानी रामनिवास नाम् सांवरमल वगैरह मुकदमा नम्बर [illegible]/1992 बउनवानी भगवानाराम बनाम् गुमानी वगैरह डिक्री हो गया हैं तथा प्रकरण में निर्णय अनुसार प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है परन्तु वादीगण के नाम उपरोक्त डिक्रियो का खाता सहवन व भूलवश दर्ज नही हो पाया तथा वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियो का उक्त समय वादपत्र मे अंकन होने से छूट गया था। पक्षकारान अपने अपने बंटवारे व हक हिस्से में आयी हुयी भूमियो पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे हैं आपस में सभी पक्षकारान के आपस में मधुर सम्बन्ध चले आ रहे हैं इस कारण उपरोक्त भूमियो की खातेदारी दर्ज नही होने बाबत कोई जांच पड़ताल व खोजबीन नही की गयी इसी कारण वादीगण द्वारा पूर्व में कोई चाराजोही व नवीन वाद आदि प्रस्तुत नही किये गये है परन्तु अब वर्तमान समय में चल रहे भूमियो के वाद विवाद, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है। इसी परिपेक्ष्य में वादीगण ने माह अगस्त 2023 में पटवारी हल्का से जमाबंदी में हिस्से के बारे में पूछा तो वादीगण को पटवारी हल्का द्वारा यह जानकारी मिली कि आपके खाता पूरा दर्ज नही हुआ है। इस पर वादी ने पुराने दावे व उनके निर्णय आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये आवेदन प्रस्तुत किये तो नकल दिनांक 7.8.2023 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुयी हैं जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को खातेदारी दर्ज कराने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने के कारण वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण की कब्जे काश्त की भूमियो से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी होने से यदि उन्होने उक्त भूमियो को दीगर किसी व्यक्ति को अनतणा आदि कर देगें या खुर्द–बुर्द कर देगें तो वादीगण के हक हिस्से व कब्जे की भूमि से महरूम होकर वादीगण बरबाद हो जावेगें। इस कारण प्रतिवादीगण को उक्त गलत व अवैध कार्यवाही के बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित व अति आवश्यक है। वकील वादीगण ने दावा पेश कर दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय [illegible] ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना [illegible] स्थित की भूमि खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 5 के नाम दर्ज 1[illegible] हिस्सा इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 ता 8 के नाम व रामचन्द्र पुत्र भूराराम के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

दर्ज पूर्व मे 1/4 हिस्सा इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 ता 8 को व इसी प्रकार वादीगण संख्या 9 ता 11 के नाम पूर्व मे दर्ज 1/4 व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज मे से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्से का इस प्रकार 1/2 हिस्से के वादीगण संख्या 9 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर में वादी संख्या 1 ता 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के नाम पूर्व मे दर्ज 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/8 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/8 हिस्सा कुल 1/4 का आधा हिस्सा 1/8 हिस्से को मिलाकर कुल 1/4 हिस्से के वादी संख्या 1 ता 8 को व वादीगण संख्या 9 ता 11 के नाम पूर्व से दर्ज 1/8 हिस्से व प्रतिवादीगण का आधा हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से का वादी संख्या 9 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज कुल 1/6 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात 1/12 हिस्से का वादी संख्या 1 के 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के नाम पूर्व में दर्ज हिस्सा 1/6 + 1/12 =1/4 हिस्से का वादी संख्या 1 ता 8 को व वादी संख्या 9 ता 11 के नाम पूर्व में दर्ज 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से 1/2 अर्थात 1/12 इस प्रकार 1/6 + 1/12 =1/4 हिस्से का वादीगण संख्या 9 ता 11 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करायी जाने तथा उक्तानुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर तन् ग्राम भारणी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम हजफ फरमाया जाने व खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का नाम हजफ फरमाये जाने एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, ना ही दीगर से कराये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore
30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की तामील इन्कारी मय दो गवाहान् के हस्ताक्षरों से होकर आई है एंव प्रतिवादीगण संख्या 6 व 8 की तामील असालतन तरीके से होकर आने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर ऋण सुविधा लिये जाने से उक्त बकाया राशि प्रतिवादी संख्या 7 को अदा नहीं किये जाने की सूरत में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का भी आदेश उक्त भूमियों के सम्बन्ध में पारित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 7 के हितों को प्रभावित किये बिना आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है। साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया गया। इसके पश्चात् वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर वादपत्र की मद संख्या 1 से 3 में अंकित भूमियों के आगे मद संख्या 1 ए, 2 बी, 3 सी एंव 3 ए, 3 बी व 3 सी अंकित करते हुए वांछित संशोधन किये जा[illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी [illegible] जिस पर वकील वादीगण की बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित धारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वकील वादीगण द्वारा चाहे गये संशोधन को संशोधित वादपत्र में अंकित किया जाकर नवीन संशोधित वादपत्र पेश किये जाने की अनुमति दी गई। जिसकी पालना में वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध पूर्व में ही एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से संशोधित वादपत्र पर प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक नहीं होने से प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण को बहस हेतु लिये जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की तीन जमाबन्दीयॉ, न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के मुकदमा संख्या 214 / 1992 उनवानी प्रकरण भगवानाराम बनाम गुमानी वगै0 किस्म दावा के मूल आदेशिका, मूल दावा, निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि व मुकदमा संख्या 458 / 1991 उनवानी प्रकरण रामनिवास बनाम सॉवरमल वगै0 किस्म दावा के मूल आदेशिका, मूल दावा, निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी लक्ष्मीना[illegible] स्व0 रामचन्द्र द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया [illegible] से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रक्बा 1.57 [illegible]टर व भूमि खसरा नम्बर 120,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व अन्य खातेदारान् के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 एक ही परिवार से होकर संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। पक्षकारान् के द्वारा अपनी कृषि भूमियों का बाह्मी पारिवारिक समझौता अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व किया जाना तथा उसी बंटवारा अनुसार मौके पर भूमियों पर काबिज काशत होना प्रकट होता है। पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के मुकदमा संख्या 214/1992 उनवानी प्रकरण भगवानाराम बनाम गुमानी वगै0 किस्म दावा के मूल आदेशिका, मूल दावा, निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.1993 की प्रमाणित प्रतिलिपि व मुकदमा संख्या 458/1991 उनवानी प्रकरण रामनिवास बनाम सॉवरमल वगै0 किस्म दावा के मूल आदेशिका, मूल दावा, निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.1993 के निर्णयानुसार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना तथा वादीगण के नाम डिक्रियों से खाता सहवन से दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। उक्त निर्णय व डिक्रियों से पक्षकारान् के बंटवारें से हिस्से में आई भूमियों पर पूर्णतया काबिज होकर काश्त किया जाना प्रकट होता है। जिसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण [illegible] से सूचना भिजवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने [illegible] उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त इत्यादि [illegible] है तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:44:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore 30/01/24
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

पर वादीगण ही काबिज काश्त है। यदि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की हकतलफी होती तो वे न्यायालय से जारी सम्मनों के आधार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये असालतन या वकालतन चाराजोही कर सकते थे परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई चाराजोही न्यायालय में नहीं की गई है। जिससे यह प्रतित होता है कि उक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 रामचन्द्र के लिखितशुदा शपथ पत्र से वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादीगण को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान की भूमि खसरा नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टयर [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा वादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम व रामचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

30/01/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

पुत्र भूराराम के नाम दर्ज पूर्व में 1/4 हिस्सा इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 8 को व इसी प्रकार वादीगण संख्या 9 लगायत 11 के नाम पूर्व में दर्ज 1/4 व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज में से 1/2 हिस्सा यानि 1/4 हिस्से का इस प्रकार 1/2 हिस्से के वादीगण संख्या 9 लगायत 11 को व भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के नाम पूर्व में दर्ज 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/8 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 का 1/8 हिस्सा कुल 1/4 का आधा हिस्सा 1/8 हिस्से को मिलाकर कुल 1/4 हिस्से के वादीगण संख्या 1 लगायत 8 को व वादीगण संख्या 9 लगायत 11 के नाम पूर्व से दर्ज 1/8 हिस्से व प्रतिवादीगण का आधा हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से का वादीगण संख्या 9 लगायत 11 को व भूमि खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज कुल 1/6 हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात 1/12 हिस्से का वादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र भूराराम के नाम पूर्व में दर्ज हिस्सा 1/6 + 1/12 =1/4 हिस्से का वादीगण संख्या 1 लगायत 8 को व वादीगण संख्या 9 लगायत 11 के नाम पूर्व में दर्ज 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में से 1/2 अर्थात 1/12 इस प्रकार 1/6 + 1/12 =1/4 हिस्से का वादीगण संख्या 9 लगायत 11 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करायी जावे। उपरोक्तानुसार कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना))

30/01/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

नम्बर 164, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 120, 121, 139 कुल किता 3 कुल रकबा 6.71 हैक्टर तन् ग्राम भारणी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है एंव खसरा नम्बर 140, 141, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 हैक्टर तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्तानुसार भूमि को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने व उक्त भूमि पर रहन इत्यादि हो तो वह रहन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अन्य भूमियों पर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक ... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:07 IST
Reason: SelfAttested

30/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना